

कार्यालय नायब तहसीलदार..... वृत्त..... जिला.....(म.प्र.)

क्रमांक

दिनांक.....

आदेश

सीमांकन प्रकरणों का समय सीमा में त्वरित निराकरण करने हेतु रा.नि.मं..... तहसील..... के अंतर्गत निम्नानुसार पटवारियों का दल गठित कर निर्देशित किया जाता है कि जापन प्राप्त होने पर तीन दिवस के भीतर सम्बंधित प्रकरण में तिथि नियत कर सम्बंधित/सीमावर्ती कृषको को सीमांकन की सूचना तामील कर, नियत तिथि को मौके पर उपस्थित होकर उभयपक्षों की उपस्थिति में सीमांकन कार्य कर मौका पंचनामा तैयार कर मय फील्डबुक, पंचनामा, फोटोग्राफ के सीमांकन प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। समय पर सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने की दशा में आपके विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। जिसकी जवाबदारी सम्बंधित हल्का पटवारी की होगी।

क्रमांक	टीम में शामिल पटवारी की नाम	हल्का नम्बर जिनमे टीम द्वारा सीमांकन किया जाना है	अन्य

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

नायब तहसीलदार

वृत्त.....

तहसील.....

क्रमांक

दिनांक.....

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान कलेक्टर महोदय भू अभिलेख शाखा की ओर सादर सूचना प्रेषित।
2. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी..... जिला की ओर सूचना प्रेषित।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय..... जिला..... की ओर सूचना प्रेषित।
4. राजस्व निरीक्षक..... को सूचनार्थ पालनार्थ। आप सतत पर्यवेक्षण कर सीमांकन प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्बंधित पटवारी श्री.....को सूचनार्थ पालनार्थ।

नायब तहसीलदार

वृत्त.....

तेहसील.....